FORM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) (नियम 26)

अज अदालत आहोर, जिला–जालोर (राज.) मुकाम आहोर

विरराम (विरका) पुत्र परमाजी माली निवासी .... बनाम राजस्थान सरकार तहसीलदार आहोर

किस्मत मुकदमा .... नं. 35/19 रद्

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्य वाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/7/19	प्रार्थी विरराम (विरका) द्वारा जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र धारा 136 RLR Act के तहत बर खिलाफ अप्रार्थीगण के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगणों को जरिये जवाब देवी नोटिस तलब होकर पत्रावली 11-9-19 को पेश हो। वकील प्रार्थी जरिये रजि. डाक के नोटिस पेश करे। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला–जालोर (राज.)	नोटिस पत्र 16-7-19
11-9-19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार आहोर को समक्ष तामिल हो चुका है अतः वास्ते जवाब हेतु पत्रावली 31-10-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
31-10-19	पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार आहोर को जवाब हेतु समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते दिनांक 12-12-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12-12-19	पत्रावली आज पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड से दाखिल हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रशांत शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या 35/2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
विराराम पुत्र परखाजी जाति माली, निवासी सराणा तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थी का नाम विरका वल्द परकिया के स्थान पर विराराम वल्द परखाजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने बाबत अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

उपस्थिति – श्री गोपाल जीनगर, वकील प्रार्थी
राज पैरोकार, अप्रार्थी नायब तहसीलदार

निर्णय

दिनांक – 12-12-2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थी का नाम विरका वल्द परकिया के स्थान पर विराराम वल्द परखाजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने बाबत अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का पेश किया गया है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सराणा, पटवार हल्का आईपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक नोसरा के वर्तमान खसरा नम्बर 472, 473, 613, 614, 1496, 1497, 1498, 1499, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1544/1645, 1545, 1546, 1547 व 1548 का कुल रकबा 15.35 हैक्टर प्रार्थी की 1/4 हिस्से की शामलाती संयुक्त कब्जे काश्त की आई हुई है, जिसमें प्रार्थी का नाम विरका वल्द परकिया, कौम माली, साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज है। प्रार्थी ने केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में अपना नाम व पिता का नाम त्रुटिवंश विरका पुत्र परकिया के स्थान पर प्रार्थी का सहीं एवं वास्तविक व निजी दस्तोवजात् में दर्ज नाम विराराम पुत्र परखाजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यह है कि वर्णित आराजी कृषि भूमि में प्रार्थी को बचपन में घर पर एवं बोलचाल एवं लाड प्यार से विरका वल्द परकिया के नाम से पुकारते थे, जबकि प्रार्थी के संबधित दस्तावेजात् विराराम पुत्र परखाजी दर्ज है, जिसे दुरूस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश लिपिकीय भूल व त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है जिसे सही करवाने का प्रार्थी कानूनी अधिकारी है।

यह है कि प्रार्थी का सहीं एवं वास्तविक नाम विराराम पुत्र परखाजी है तथा ग्राम सराणा में इन्हीं नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है, तथा प्रार्थी के निजी दस्तावेजात् में भी विराराम दर्ज है, इन तमाम दस्तावेजात् के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विराराम पुत्र परखाजी के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवंश विरका पुत्र परकिया दर्ज हो गया है तथा विराराम पुत्र परखाजी व विरका पुत्र परकिया नाम का एक ही व्यक्ति है, इन नामों का अलग–अलग व्यक्ति नहीं है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस हेतू पत्रावली तबल किया गया तथा बहस के दौरान प्रार्थी वकील द्वारा बताया गया कि राजस्व रेकर्ड में विराराम पुत्र परखाजी के स्थान पर विरका पुत्र परकिया दर्ज हो गया है, प्रार्थी का सहीं एवं वास्तविक नाम अपने निजी दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का भी निवेदन किया गया।

हमने पत्रावलीं का अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दूओं पर मनन किया, जिसके अनुसार विरका पर परकिया के स्थान पर सहीं एवं वास्तविक नाम विराराम पुत्र परखाजी दर्ज करवाने हेतू प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है।

– आदेश –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आहोर को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा सराणा, पटवार हल्का आईपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक नोसरा के वर्तमान खसरा नम्बर 472, 473, 613, 614, 1496, 1497, 1498, 1499, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1544/1645, 1545, 1546, 1547 व 1548 का कुल रकबा 15.35 हैक्टर आराजी कृषि भूमि में खातेदार प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम विरका पुत्र परकिया के स्थान पर सहीं एवं वास्तविक नाम विराराम पुत्र परखाजी साकिन देह खातेदार दर्ज किया जावे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

प्रशांत शार्मा (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, आहोर
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner